

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

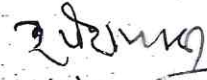
क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-151) अलेसे-1/2888-2892

दिनांक:- 20/03/2023

आदेश

श्री ललित कुमार (दिव्यांग), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय, कोषाधिकारी, जोधपुर (ग्रामीण) को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 30.12.2022 के आधार पर एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 30.12.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 30.12.2022) से प्रभावी होगी।



(अनूपम माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-151) अलेसे-1/2888-2892

दिनांक:- 20/03/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, जोधपुर (ग्रामीण)।
2. श्री ललित कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय, कोषाधिकारी, जोधपुर (ग्रामीण)
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)